न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 584 / 2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री मांगीलाल पिता मगना जी जाति गर्ग आयु 47 वर्ष निवासी मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।

—प्रार्थी

बनाम

1. नाथु पिता खीमा जी जाति गरू आयु वयस्क निवासी मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
2. कंचनदेवी पत्नी कैलाशचन्द्र जी जाति गरू आयु वयस्क निवासी मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 रा.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : श्री सुरेश खटीक, अधिवक्ता प्रार्थी।

: : आदेश : :

दिनांक :—22.07.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एकट एवं आदेश नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोलेला तहसील खमनोर कुल आराजी किता 3 कुल रकबा 0—09 बीघा कृषि भूमि पक्षकारान के संयुक्त स्वामित्व की स्थित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियो का विधिवत रूप से विभाजन करने हेतु कहा तो विपक्षीगण ने विभाजन कराने से इनकार कर दिया इस कारण प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि का हिस्से अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। उक्त आराजीयात मे बिना विभाजन ही विपक्षी सं. 1 नाथु बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य कर रहा है इस पर प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 को निर्माण कार्य करने से मना कर दिया और कहा कि मे निर्माण कार्य कर के ही रहूंगा। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 1 को विभाजन करने के बाद निर्माण कार्य करने हेतु कहा तो विपक्षी सं.1 ने इनकार कर दिया इस कारण प्रार्थी विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अगर प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही फरमाई गई तो प्रार्थी को ऐसी अशोधनीय क्षति होगी जिसका अर्थ मे अंकन करना संभव नही होगा।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात मे विधिवत विभाजन नही हो जाने तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे न किसी अन्य से करावे एवं दौराने सुनवाई ऐसा कर दे तो विपक्षीगण के व्यय से स्थिति पुनः यथावत कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :-

प्रथम दृष्टया प्रकरण :-पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071-74 राजस्व मोलेला, तहसील खमनोर के खाता सं. 848 मे कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 00-09 बीघा मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षीगणद्वारा बिना विभाजन कराये संयुक्त खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है इसलिये इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जावे कि बिना विभाजन निर्माण कार्य नही किया जावे परन्तु प्रार्थी द्वारा इस तथ्य को साबित नही कराया गया है नही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। साथही संयुक्त खातेदारी की भूमि पर सभी खातेदारो का हक-हिस्सा होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः-प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। अतः यदि किसी भी पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति दूसरे पक्षकार को होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आदेश सुनाया जाता हैः-

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **22.07.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द